डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह
Principal, Rohtas Mahila college, Sasaram
विषय = समाजशास्त्र

B. A. Part 1

Paper- 2nd

भारतीय समाज और संस्कृति

हिन्दू विवाह संस्कार

हिन्दू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है 'विवाह' जिसकी महत्ता आज भी विद्यमान है। 'विवाह' शब्द "वि" उपसर्ग "वह" धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है "वधू को वर के घर ले जाना या पहुँचाना"। गृहस्थाश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से प्रारंभ होता है।

स्मृति ग्रन्थों में विवाह के आठ प्रकारों का उल्लेख मिलता है — ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच। प्रथम चार को प्रशस्त तथा अन्तिम चार को अप्रशस्त कहा गया है। इनका विवरण इस प्रकार है —

(1) ब्रह्म विवाह — यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था। जिसमें पिता केवल एक शीलवान वर का चयन कर घर बुलाता था तथा उसकी पूजा करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था। भारत में आज भी यही सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रकार है।

(2) दैव विवाह — इसके बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि "यज्ञ में विधिवत कर्म करते हुए ऋत्विज को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर कन्या प्रदान करना दैव विवाह है।" पिता पुरोहितों से लम्बी अवधि तक सम्बद्ध रहने के कारण

उसमें से किसी एक के गुणों पर मुग्ध होकर अपनी कन्या के लिये चुन लेता था। यह प्रथा वैदिक यज्ञों के साथ ही समाप्त हो गयी।

(3.) आर्ष विवाह — इस विवाह में कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान के बदले में एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था।

(4.) प्राजापत्य विवाह — इस विवाह के अन्तर्गत कन्या का पिता कन्या को प्रदान करते हुये यह आदेश यह आदेश देता था कि "तुम दोनों साथ-साथ धर्म का पालन करो।" यह अथवा प्राजापत्य ही विवाह का सर्वप्रचलित प्रकार था जो आज भी हिन्दू समाज में विद्यमान है। विवाह के उपर्युक्त प्रकार "प्रशस्त" अथवा शास्त्रसंगत माने गये हैं।

(5.) आसुर विवाह — इसमें कन्या का पिता अथवा सम्बन्धी धन लेकर कन्या का विवाह करते थे। विभिन्न स्मृतिकारों इस विवाह की निंदा की है। इसके बावजूद भी भारत के कुछ परिवारों में इसका प्रचलन सीमित रूप में विद्यमान है

(6.) गान्धर्व विवाह — यह प्रणय विवाह था जिसमें माता-पिता की इच्छा के बिना ही वर-कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकृष्ट होकर अपना विवाह कर लेते थे। कुछ स्मृतिकारों ने इसका

विरोध किया है।

(7) राक्षस विवाह — इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह करना ही राक्षस विवाह है। इस विवाह की प्राचीनता ऐतिहासिक युग तक जाती है।

(8) पैशाच विवाह — यह विवाह का निकृष्टतम प्रकार है जिसकी सभी ज्ञातकार कटु आलोचना करते हैं। इसका प्रचलन आदिम जंगली जनजातियों में रहा होगा।

इस प्रकार ऊपर बताये गए विवाह के केवल चार प्रकार ही प्राचीन ज्ञातकारों द्वारा प्रशंसनीय बताये गये हैं। सबसे अधिक प्रशस्त विवाह वह था जिसमें कन्या के माता-पिता अथवा सम्बन्धी वर को विधिपूर्वक पूजा करके उपहारों के साथ उसे कन्या प्रदान करते थे। विवाह का यह स्वरूप आज भी हमारे समाज में प्रचलित है।